राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस० यादव द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी रामरतन जारी गिर0 वारंट के पालन में उप0।

फरियादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A fcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूंछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पंकज शर्मा, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 02.02.17 को 12 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 15.02.17 तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 15.02.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिबेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Chipta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)

address.

पुनश्चः

उभयपक्ष पूर्ववत।

मध्यस्थ न्यायालय से मध्यस्थता सफलता की टीप प्राप्त।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा ४४७, ५०६ बी के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है। उक्त आरोप न्यायालय की अनुमित से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 447, 506 बी भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमित प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है। प्रकरण में आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति नही है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)